सत्यमेव जयते

महात्मा गाँधी नरेगा मेट के लिए संदर्भ पुस्तिका

राजस्थान बंजरभूमि विकास बोर्ड एवं बायोफ्यूल प्राधिकरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

सुरेन्द्र सिंह राठौड़

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बायोफ्यूल प्राधिकरण
एवं सदस्य सचिव
राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड

संदेश

राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड के तहत राज्य की बंजर भूमि पर महात्मागाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के सफलतापूर्ण निष्पादन/ क्रियान्वयन में मेट की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

मेट के दैनिक कार्यकलापों, दायित्वों एवं भूमिका की जानकारी देने के उद्देश्य से इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें अत्यन्त सरल भाषा एवं चित्रों के माध्यम से मेट द्वारा किये जाने वाले कार्यों को समझाया गया है।

इस पुस्तिका को तैयार करने हेतु सेवा मन्दिर उदयपुर, फाउण्डेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी भीलवाड़ा एवं बायफ संस्था उदयपुर के संदर्भ व्यक्तियों द्वारा व सहयोग प्रदान किया गया। आशा है कि यह पुस्तिका महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को मेटों द्वारा श्रमिकों के नियोजन से लेकर निर्धारित मजदूरी के भुगतान तक के महत्त्वपूर्ण कार्य को कुशलता पूर्वक सम्पादित करने में अत्यन्त उपयोगी साबित होगी।

(सुरेन्द्र सिंह राठौड़)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बायोफ्यूल प्राधिकरण
एवं सदस्य सचिव
राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड

प्रस्तावना

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महात्मा गाँधी नरेगा मेटों को अपना काम अच्छी तरह से करने के लिये काबिल बनाना है। एक कुशल और अच्छा मेट अपने साथ काम करने वाले श्रमिकों को समय पर और सही मजदूरी का भुगतान कराने में सहयोग देता है। इसके अलावा यह गाँव में महात्मा गाँधी नरेगा काम को अच्छी तरह करवाने में और महात्मा गाँधी नरेगा की सही योजना बनवाने में भी कुशल सहयोग देता है।

इससे गाँव में चारागाह, जल संसाधन, नाड़ी, नहर इत्यादि का विकास होता है और गाँव में खुशहाली और समृद्धि आती है। इसके अलावा श्रमिकों की महात्मा गाँधी नरेगा से होने वाली आमदनी बढ़ती है, मेट की स्वयं की आमदनी बढ़ती है और मेट की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है।

प्रशिक्षण के उद्देश्य को पाने के लिये प्रशिक्षण को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा गया है–

1. पहले भाग में मेटों की सोच और समझ बढ़ाने के लिये उनको महात्मा गाँधी नरेगा के बारे में जानकारी और मेट के बारे में जानकारी दी गयी है। इसके अलावा महात्मा गाँधी नरेगा में किस तरह चारागाह, जल संसाधन और खेत भूमि को विकसित किया जा सकता है, इसके विषय में भी जानकारी दी गई है।
2. दूसरे भाग में मेट के कामों में उनका कौशल बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

उम्मीद है कि सोच–समझ बढ़ने के साथ कौशल बढ़ने से मेट अपनी सही सोच के साथ कुशलतापूर्वक अपने काम को जल्दी कर पाएंगे।

प्रतिभागी मेट अनुभवी और कुशल पहले से हो सकते हैं। प्रशिक्षण में दी जा रही बहुत सी जानकारी और हुनर उनके पास पहले से होंगे। मगर इस प्रशिक्षण सामग्री में काफी कुछ नया है जो मेटों को उनके विकास में मदद करेगा।

मार्गदर्शन

सुरेन्द्र सिंह राठौड़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संकलन एवं परिकल्पना

मनिन्दर जीत सिंह उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सहयोग

गणपत लाल शर्मा सलाहकार (कृषि)

बायोफ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

महात्मा गाँधी नरेगा मेट के लिए सन्दर्भ पुस्तिका

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	महात्मा गाँधी नरेगा का परिचय	4
2.	महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत शामलात संसाधन का विकास	8
3.	महात्मा गाँधी नरेगा मेट के कार्य	10
4.	ई– मस्टर रोल समझना और भरना	14
5.	कार्य का आवंटन	16
6.	कार्य का मापन	19
7.	बी.एस.आर. पढ़ना और इस्तेमाल करना	21
8.	मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने की प्रक्रिया	24
9.	संलग्नक	
	1. अकुशल श्रमिक द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य की मात्रा की विवरणिका।	25
	2. श्रमिक टास्ट का विवरण	29
	3. श्रमिक टास्क का सचित्र विवरण	
	1. टास्क बोर्ड– 1 : प्रति मजदूर कार्य विवरण	33
	2. टास्क बोर्ड– 2 : सड़क निर्माण कार्य (कटाई)	34
	3. टास्क बोर्ड– 3 : सड़क निर्माण कार्य (मिट्टी भराई)	35
	4. टास्क बोर्ड– 4 : खाली/नहर के पटडे की मिट्टी मरम्मत का कार्य (मिट्टी कटाई)	36
	5. टास्क बोर्ड– 5 : खाला/ नहर के पटडे की मिट्टी मरम्मत का कार्य (मिट्टी भराई)	37
	6. टास्क बोर्ड– 6 : अन्य कार्य	38
	4. पखवाड़ा समाप्ति उपरान्त मस्टररोल भुगतान हेतु दायित्व एवं सयम सीमा	39
10.	संदर्भ स्त्रोत	40

अध्याय–1

महात्मा गाँधी नरेगा योजना

1.1 महात्मा गाँधी नरेगा का परिचय

देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज्यादातर गरीब लोग अकुशल, दिहाड़ी, शारीरिक मजदूरी से मिलने वाली मजदूरी पर आश्रित रहते हैं। वे अकसर न्यूनतम साधनों से अपना गुजारा करते हैं और गहन गरीबी की निरंतर आशंका में जीते हैं। श्रम की अपर्याप्त माँग तथा प्राकृतिक आपदा अथवा बीमारी जैसे अनपेक्षित संकट सभी उनके रोजगार अवसरों पर बहुत बुरा असर डालते हैं।

रोजगार कार्यक्रमों में सिंचाई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं सड़क निर्माण जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में सीमित अवधि के लिए अकुशल शारीरिक श्रम मुहैया कराया जाता है। इन कार्यक्रमों के कारण स्थाई सम्पदाओं का निर्माण होता है जिनके कारण दूसरे चक्र के रोजगार भी पैदा होने लगते हैं क्योंकि उनके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा अस्तित्व में आ जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) या महात्मा गाँधी नरेगा एक महत्वाकांक्षी व विकास पटल का एक अभिनव प्रयोग है। यह भारत का ही नहीं, अपितु विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सामाजिक–आर्थिक अधिकारों को कानून के जरिये स्थापित करने का प्रयोग किया गया है। आरम्भ में इसे नरेगा और 2009 के पश्चात् महात्मा गाँधी नरेगा के रूप में जाना गया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया।

नरेगा पहला ऐसा केन्द्रीय अधिनियम है जिसमें योजनाएं बनाने, उन्हें पास करने और उनके क्रियान्वयन संबंधी अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) 2005 का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को पुष्ट करने के लिए एक वित्त वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का मजदूरी–आधारित रोजगार मुहय्या कराया जाए जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। इस कानून का दूसरा मकसद स्थायी संपदाओं का निर्माण करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती देना है। इस अधिनियम में सुझाए गए कामों में सूखा, वन विनाश, मृदा क्षरण आदि ऐसे कारणों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो स्थायी गरीबी को जन्म देते हैं। इसके पीछे सोच रही है कि रोजगार संवर्द्धन की प्रक्रिया एक टिकाऊ आधार पर चलती रहे।

महात्मा गाँधी नरेगा के अन्तर्गत नाम पंजीकरण के 15 दिन के भीतर फोटो लगा जॉब कार्ड जारी करना, समुदाय के समक्ष इनका वितरण करना तथा वर्ष में एक बार नाम जोड़ने व हटाने का प्रावधान है। 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराना है। जॉब कार्ड की हस्ताक्षरित एक प्रतिलिपि पंचायत सचिव के पास रहती है। यह जॉब कार्ड 5 वर्ष तक मान्य रहता है। यदि यह जॉब कार्ड खो जाये तो अर्जी देने पर 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत को डुप्लीकेट उपलब्ध कराना होता है (महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम की धारा 5 अनुसूची 2)। इस व्यवस्था के तहत लोगों को कम से कम 14 दिन के सतत काम की माँग करनी होती है। पंचायत को 5 किमी की परिधि में रोजगार उपलब्ध कराना होता है और यदि इस सीमा से बाहर रोजगार मिलता है तो 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान करना होता है। योजना अमलीकरण की मुख्य एजेन्सियों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत हैं। पंचायत सचिव, ब्लॉक व जिला समन्वयक इस योजना में अमलीकरण के लिए प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी है।

1.2 महात्मा गाँधी नरेगा उद्देश्य

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार (जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं) को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है तथा टिकाव परिसम्पत्तियाँ सृजित करना है। अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार है –

(1) रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभ वंचित लोगों के लिए आजीविका सुरक्षा।

(2) टिकाऊ विकास स्वरूप गाँव की परिसम्मत्तियों के सृजन, उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और अधिक भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा।

(3) ग्रामीण भारत में सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण।

(4) अधिकार, आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिये सामाजिक रूप से वंचितों (विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों) को अधिकार सम्पन्न बनाना।

(5) विभिन्न आजीविका संबंधी कार्यों में तालमेल के जरिये विकेन्द्रीकृत तथा भागीदारी–पूर्ण नियोजन को सुदृढ़ करना।

(6) पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके जमीनी स्तर पर मजबूत लोकतंत्र को कायम करना।

(7) शासन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

इस प्रकार महात्मा गाँधी नरेगा सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

1.3 महात्मा गाँधी नरेगा में संभावनाएँ

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवजीवन के संचार से लेकर लोकतंत्र की सुधारात्मक प्रक्रिया का महात्मा गाँधी नरेगा के माध्यम से उदय हुआ है। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र के करोड़ों जरूरतमन्द व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है और साथ ही गरीबी एवं बेरोजगारी में भी कमी आयी है। रोजगार गारण्टी अधिनियम से श्रमिकों को अधिक अधिकार प्राप्त होंगे और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होंगे।

भारत में महात्मा गाँधी नरेगा के क्रियान्वयन में निहित सम्भावनाएँ निम्नानुसार हैं :–

1. देश ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में रोजगार उपलब्ध करवाना।
2. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का सतत् विकास करने के लिए रोजगार प्रदान करना। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ अत्यधिक गरीबी है और सूखा व मिट्टी कटाव से जीविका के साधन समाप्त हो गए हैं, वहाँ रोजगार उपलब्ध करवाना।
3. नरेगा के द्वारा गाँवों के शामलात संसाधनों जैसे चारागाह, ओरण, तालाब, नाड़ी आदि का सृजन हो सकता है जिससे गाँवों की परिसम्मत्ति कायम व सुदृढ़ रह सकती है, और आगे जाकर लोगों की जीविका का साधन बन सकती है।
4. नरेगा के तहत पुराने जल संसाधनों का पुनः विकास सम्भवन है।
5. जमीनी लोकतंत्र और शासन में पारदर्शिता को आधार बनाकर जीविका के नए रास्ते महात्मा गाँधी नरेगा के तहत तैयार किये जा सकते हैं।

1.4 महात्मा गाँधी नरेगा में प्रस्तावित गतिविधियाँ

भारत सरकार पत्र दिनांक 20 दिसम्बर 2013 के अनुसार महात्मा गाँधी नरेगा में संभावित गतिविधियाँ पूर्व में 16 प्रकार की थी। उन्हें अब संक्षेप में 4 प्रमुख श्रेणियों में बाँट दिया गया है।

1. **श्रेणी 'ए' की गतिविधियाँ**

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आधारित समुदाय कार्य / सार्वजनिक कार्य

(1) जल संरक्षण संरचनाएं (Water Harvesting Structures)

चैक डेम, अर्दन डेम, स्टॉप डेम, भूमिगत डाइक

(2) जलग्रहण प्रवर्धन–

(1) कन्टूर ट्रेन्च (2) टेरेसिंग

(3) कन्टूर बन्ड (4) बोल्डर चेक डेम

(5) गेबियन स्ट्रक्चर

(3) सूक्ष्म एवं छोटे सिंचाई संरचना कार्य –

(अ) सूक्ष्म एवं छोटे सिंचाई संरचना निर्माण कार्य

(ब) सूक्ष्म एवं छोटे सिंचाई संरचना नव निर्माण, देखरेख आदि

(4) परम्परागत जल स्त्रोत व पुनर्जीवीकरण (Renovation) करना–

सिंचाई टेंक तथा जल स्त्रोत की डिसिल्टींग

(5) वनीकरण (जंगल लगाना) (Afforestation) करना–

(अ) शामलात भूमि पर पौधारोपण एवं उद्यानिकी कार्य

(ब) सड़क किनारे, केनाल बैड, तटीय किनारे पर पौधारोपण कार्य करना

(6) शामलात भूमि पर भूमि विकास कार्य अथवा चारागाह विकास कार्य करना

2. **श्रेणी 'बी' की गतिविधियाँ**

(1) कमजोर वर्ग के लिए व्यक्तिगत परिसम्पतियाँ सृजन करना–

(अ) कुआं खुदाई कार्य (डार्क जोन के अलावा)

(ब) फार्म पोण्ड का निर्माण

(स) जल संग्रहण के कार्य

(2) आजीविका का विकास करना –

(अ) उद्यानिकी कार्य

(ब) सेरीकल्चर (रेशम पालन) कार्य

(स) पौधा रोपण

(द) फार्म फौरेस्ट्री

(3) पड़त और ऊसर भूमि का विकास करना

(4) इंदिरा आवास योजना में 90 अकुशल श्रम दिवस कार्य भुगतान

(5) पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए भौतिक संसाधन निर्माण कार्य –

(अ) पोल्ट्री शेड

(ब) गोटरी शेल्टर

(स) केटल शेल्टर

(द) पिगरी शेल्टर

(य) चारा नांद (ट्रंक) पशुओं के लिए

(6) मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भौतिक संसाधन का निर्माण करना –

(अ) फिश ड्राईंग यार्ड्स

(ब) फिश संग्रहण सुविधाएं

3. श्रेणी 'सी' की गतिविधियाँ

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए शामलात (Common) भौतिक संसाधन सृजन कार्य –

(1) कृषि उत्पादकता बढ़ाना –

(अ) बायो फर्टीलाइजर के लिए संरचना

(ब) कृषि उत्पाद के लिए भण्डारण हेतु पक्का कार्य

4. श्रेणी 'डी' की गतिविधियाँ (ग्रामीण भौतिक संसाधन)

(1) ग्रामीण स्वच्छता कार्य –

(अ) व्यक्तिगत शौचालय निर्माण

(ब) विद्यालय शौचालय यूनिट

(स) आंगनवाड़ी शौचालय

(2) बारहमासी सड़क जुड़ाव –

(अ) पक्का रोड (ग्रेवल सड़क मय कलवर्ट)

(ब) पक्का आंतरिक रोड और मोहल्ला रोड जिसमें साईड की नालियां तथा कलवर्ट्स शामिल है।

(3) खेल मैदान का निर्माण कार्य

(4) आपातकालीन प्रबंधन एवं रीस्टोरेशन कार्य

(अ) बाढ़ नियंत्रण

(ब) जल विकास कार्य

(स) स्टॉर्म वाटर ट्रेन – कोस्टल एरिया के लिए

(5) भवन निर्माण कार्य –

(अ) ग्राम पंचायत भवन

(ब) महिला स्वयं सहायता समूह की फेडरेशन हेतु भवन

(स) ग्रामीण हाट

(द) शमशान भवन

(ह) आंगनवाड़ी भवन

(6) अन्न संग्रहण संरचना –

नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट 2013 के अनुसार खाद्यान्न भण्डारण ग्रह

(7) देखरेख–

नरेगा के तहत सृजित परिसम्पत्तियों का रखरखाव

1.5.1 महात्मा गाँधी नरेगा में क्या नहीं किया जा सकता?

महात्मा गाँधी नरेगा में ऐसे कार्य नहीं किये जा सकते हैं जो कि मूर्त (Tangible) नहीं हो यानि जिन्हें मापा नहीं जा सके, तथा बार–बार किया जाना आवश्यक हो जैसे घास का बार–बार निकलना, कंकड़, कृषि कार्य, हकाई, कटाई आदि कार्य

अध्याय –2

महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत शामलात संसाधनों का विकास

2.1 शामलात संसाधनों (भूमि व जल) को महात्मा गाँधी नरेगा के माध्यम से विकसित करने के चरण

1. चारागाह निर्धारण के बाद उसके विकास हेतु विस्तृत कार्य–योजना बनाएं :– ग्राम स्तरीय 'चारागाह भूमि विकास समिति' व फले/ ग्राम स्तरीय बैठकें एवं जमीन की वस्तुस्थिति की जाँच कर एक विस्तृत कार्य–योजना बनाएंगी। इन योजनाओं में चारागाह भूमि का प्रस्तावित क्षेत्र, पेड़ व घास (चारा) की प्रजातियों का विवरण, ट्रेंच/ चैकडेम आदि के कार्यों का विवरण तैयार करना होगा। यह 15 अगस्त तक हो जाना चाहिए।
2. उपर्युक्त कार्य–योजना वार्ड सदस्यों द्वारा विशिष्ट ग्राम सभा में अनुमोदित करवायी जाएगी– तैयार कार्य योजना को ग्राम सभा में अनुमोदित कर उसको ग्राम पंचायत की महात्मा गाँधी नरेगा वार्षिक कार्य–योजना में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें। यह कार्य 31 अगस्त तक पूर्ण हो जाना चाहिए।
3. पंचायत की वार्षिक योजनाओं को (पंचायत समिति की योजनाओं में जोड़ने के लिये) ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति के पास भेजा जाएगा। इसके पश्चात् पंचायत समिति उसका अनुमोदन करेगी। यह प्रक्रिया 2 अक्टूबर तक पूर्ण हो जानी चाहिए।
4. पंचायत समितियों से अनुमोदित होकर सभी नरेगा वार्षिक योजनाएं जिला परिषद स्तर पर एकत्रित हो जाएगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला वार्षिक योजना और श्रम बजट को जिला पंचायत में प्रस्तुत करेगा।
5. तत्पश्चात नरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के पास आ जाती है।
6. चारागाह विकास के स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है– ग्राम पंचायत के कार्यों को शुरु करने के लिये तकनीकी सहायता पंचायत समिति के निर्धारित जे.टी.ए./ गैर–सरकारी संस्था अथवा गाँव में तैयार युवकों या पंचायत मेट से ले सकते हैं। इसके उपरान्त 'चारागाह विकास समिति' की सहायता से काम करने हेतु इच्छुक लोगों का आवेदन (फार्म–6) भरवा कर ग्राम पंचायत के सहायक सचिव/ सचिव द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति को भेजा जाता है।
7. चारागाह विकास का कार्य शुरू किया जाता है– नरेगा के अन्तर्गत काम के आवेदकों की सूची के आधार पर पंचायत समिति स्तर से मस्टर–रोल जारी किया जाता है जिसके अनुसार चारागाह विकास का कार्य आरीा किया जाता है।
8. चारागाह विकास हेतु नरेगा योजना के कार्यों की निगरानी – देखरेख कार्य को मेट के अतिरिक्त चारागाह विकास समिति, वार्ड पंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि कर सकते हैं।

9. चारागाह को महात्मा गाँधी नरेगा द्वारा विकसित करने के बाद चारागाह प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गाँव आधारित कुछ नियम बनाना आवश्यक है, जैसे पेड़ कटाई पर रोक आदि। यह नियम ग्राम स्तरीय चारागाह विकास समिति बनाएगी।

2.2 महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अन्तर्गत चारागाह विकास हेतु किए जाने वाले कार्य

राजस्थान में पशुपालन ग्रामीण आजीविका का आधार स्तम्भ है। परम्परागत रूप से राजस्थान में खुली चराई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। इन परिस्थितियों में चारागाह प्रबन्धन के साथ–साथ निम्नलिखित कार्यों को कर अपने गाँव के चारागाह को विकसित कर अपनी आजीविका के तंत्र को मजबूती प्रदान करें।

चारागाह को विकसित करने हेतु निम्न कार्य किए जा सकते हैं–

1. भूमि विकास कार्य

(क) चारागाह सीमा को सुरक्षित करने के लिए निम्न तकनीकों का प्रयोग करें–

- पशुरोधक खाई का निर्माण करना (जहाँ मिट्टी खुद सके उन जगहों पर)
- पत्थर की दीवार बनाना (जहाँ खुदाई नहीं हो सकती है)
- पेजिटेटिव फेस/जैविक बाड़ बनाना (स्थानीय बाड़ में काम आने वाले पौधों की प्रजातियों को काम में लिया जा सकता है)
- तार बाड़ लगाना (मरूस्थलीय क्षेत्रों में किया जा सकता है।)

(ख) भूमि व जल संरक्षण के कार्य –

- **समतल भूमि –** यानि 5 प्रतिशत से कम हो तो प्लॉटिंग (खेतनुमा) क्यारियों का निर्माण करना।
- **कंटूर ट्रेन्च –** यह ट्रेन्च पानी के बहाव की गति को धीमा करती है तथा भूमि के कटाव को रोकती है। यह कार्य 5 से 25 प्रतिशत के ढ़ाल वाली भूमि पर किया जा सकता है।
- चारागाह भूमि के अंदर छोटे नाड़ी/ तलाब बनाया जा सकते हैं। (चारागाह साइट के आधार पर)

2. नाला उपचार कार्य

यदि चारागाह भूमि के अंदर नाला है, तो उसका नाला उपचार का कार्य (चेकडेम/गेबियन) किया जा सकता है।

3. पौधारोपण व चारा (घास) लगाने का काम

(क) चारा लगाने का कार्य (स्थानीय चारे की प्रजाति)

(ख) चारा उपलब्ध कराने वाले पौधों का रोपण

(ग) पौधारोपण का कार्य

- गड्डा खुदाई का कार्य
- **पौधारोपण** – स्थानीय प्रजाति के पौधों का पौधारोपण एवं थांवला बनाने का कार्य
- **बीजारोपण** – बीज द्वारा कई पौधों की प्रजाति को विकसित किया जा सकता है।
- **रख–रखाव के कार्य** – चारागाह की निड़ाई–गुड़ाई एवं थांवला मरम्मत का कार्य किया जा सकता है।

इनके अतिरिक्त स्थानीय जरूरत के आधार पर चारागाह विकास के अन्य कार्य भी लिए जा सकते हैं।

अध्याय – 3

नरेगा मेट के कार्य

3.1 महात्मा गाँधी नरेगा में मेट के अर्थ

'मेट' शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ 'साथी' होता है। 'साथी' अर्थात् लोगों की मदद करने वाला। महात्मा गाँधी नरेगा में मेट की जो अवधारणा की गई है वह यह है कि ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय स्तर पर रहता हो तथा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहे वह व्यक्ति महात्मा गाँधी नरेगा में मेट की भूमिका सक्रिय रूप से निभा सकता है। राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम में मेट लोगों को ग्राम पंचायत के साथ जोड़कर रखा गया है। नरेगा मेट मुख्य रूप से जॉबकार्ड धारक को कार्य पर लगाकर उसे टास्क अनुसार मजदूरी दिलाने का प्रयास करता है। ग्राम पंचायत मेट के कार्य को आगे बढ़ाती है।

3.2 मेट के नियोजन बाबत निर्देश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि नियोजित परिवारों को पूरी मजदूरी मिले।

राज्य सरकार द्वारा कराये गये अध्ययन से यह स्पष्ट स्थिति सामने आई है कि श्रमिकों के लिये जो टास्क निर्धारित किया गया है वह उचित है एवं जहां कहीं भी श्रमिकों को सही पर्यवेक्षक दिया गया है वहां उनको पूर्ण मजदूरी प्राप्त हुई है। कार्यस्थल पर उचित पर्यवेक्षक के अभाव में अनियमितता होने की भी अधिक सम्भावनाएं रहती हैं। अतः निर्माण कार्यस्थल पर सही पर्यवेक्षक रखना आवश्यक है। कार्यस्थल पर पर्याप्त पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए मेट को लगाया जाना है।

निर्माण कार्यों के संचालन में मेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवारों को प्रपत्र–6 में कार्य की मांग करने वाले सदस्यों को व्यवस्थित रूप से कार्य पर लगाने के लिए मस्टररोल का संधारण 5–5 श्रमिकों का समूह बनाना 5 श्रमिकों के समूह को निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य आवंटन तथा उनके द्वारा किये गये दैनिक कार्य का माप कर उन्हें सूचित करने का उत्तरदायित्व मेट का ही है। मेट द्वारा कार्य निष्पादन हेतु प्रयुक्त सामग्री का रिकार्ड रखना भी है। इसी प्रकार कार्यस्थल पर बोर्ड, छाया, पानी, झूले, आया, दवाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है।

3.3 महात्मा गाँधी नरेगा में मेट चयन की प्रक्रिया

मेट का चयन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु एक विज्ञापन जिला स्तर से जारी किया जाकर मेट का पैनल बनाने हेतु प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किये जाते हैं। विज्ञापन में योग्यता व प्राथमिकता का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। पूर्व में नियोजित व प्रशिक्षित मेटों को चयन में प्राथमिकता दी जाती है यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं रही है। प्राप्त आवेदन पत्रों की ग्राम पंचायतवार छंटनी कर ग्राम पंचायत मेरिट के आधार पर वरीयता अनुसार मेटों का पैनल तैयार करती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 मेट का पैनल तैयार किया जाता है। यदि ग्राम पंचायत की आबादी अधिक है तथा पंचायत में 1 से अधिक गांव है तो जारी जॉब कार्ड व परिवारों की संख्या को देखते हुए 10 से अधिक मेटों का एक पैनल रखा जा सकता है।

प्राप्त आवेदन पत्रों में से अंतिम पैनल का फैसला प्रधान पंचायत समिति की अध्यक्षता में गठित एक समिति (जिसमें विकास अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे) द्वारा किया जाता है। यथासम्भव मेट उसी गांव का हो, यह ध्यान में रखा जाता है।

3.3.1 मेट की योग्यता

– पुरुष मेट : कम से कम 8वीं पास हो।

– महिला मेट : 8वीं पास, 8वीं उत्तीर्ण न मिलने पर 5वीं पास।

3.3.2 प्राथमिकता

– बी.पी.एल.

– विधवा, परित्यकता, एकल, विकलांग

– एस.सी./एस.टी./पिछड़ा वर्ग

3.3.3 मेट का नियोजन

– 50 श्रमिकों पर 1 मेट

– 50 से अधिक श्रमिक होने पर प्रति 10 श्रमिक पर 1 अतिरिक्त मेट

3.4 मेट के कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ

(अ) समूह बनाना –

1. मजदूरों की इच्छानुसार 5–5 व्यक्तियों के समूह बनाना।
2. समूह पूरे पखवाड़े के लिए बनेंगे।

(ब) मस्टररोल में श्रमिकों की हाजिरी भरना –

1. पानी पिलाने एवं बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं के नाम मस्टररोल के अंत में या अलग मस्टररोल में दर्ज करना।
2. कार्य शुरू होने के 1 घण्टे के अंदर–अंदर श्रमिकों की हाजिरी भरना।

(स) ई–मस्टररोल का पूर्ण करना (आजकल पुराने मस्टररोल का स्थान ई–मस्टररोल ने ले लिया है)–

ई–मस्टररोल में मेट द्वारा भरी जाने वाली जानकारी भरना। पूरी जानकारी के लिए पाठ–4 'ई–मस्टररोल समझना और भरना' को पढ़िए।

3.4.1 श्रमिकों को कार्य का आवंटन करना

मेट द्वारा प्रतिदिन सुबह श्रमिकों को उनके समूह के हिसाब से माप कर कार्य आवंटन करना होता है। कार्य का आवंटन करके निर्धारित टास्क के अनुसार सीमांकन (Layout) करना होता है, अर्थात् कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व मेट द्वारा निश्चित रूप से चौकड़ी नाप कर समूह में श्रमिकों को दिया जाना आवश्यक है।

3.4.2 श्रमिकों के कार्य का मापन करना

मेट का यह भी प्रमुख कार्य है कि प्रतिदिन शाम को या कार्य समाप्त होने के फौरन बाद दिये गये कार्य को फीता डालकर मापा जाये तथा उसे ई–मस्टररोल में इन्द्राज किया जाए। अंत में श्रमिकों को प्रतिदिन मजदूरी की गणना करके बताई जाए। इसके अतिरिक्त श्रमिक कार्ड को भी भरा जाना अपेक्षित है।

3.4.3 श्रमिकों को उत्प्रेरित करना

मेट का बहुत महत्वपूर्ण काम है कि श्रमिकों को प्रतिदिन पूरा कार्य पूर्ण करने के लिए उत्प्रेरित करे। किसी दिन कार्य कम या अधूरा होने पर दूसरे दिन उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करे ताकि उसे पूरी मजदूरी मिल सके।

3.4.4 पक्के कार्य की गुणवत्ता हेतु देखरेख करना

महात्मा गाँधी नरेगा में यदि कोई पक्का कार्य चल रहा हो तो उसमें मंगवाई गई सामग्री का इंद्राज करने से लेकर प्रयोग में लाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान रखना एक मेट की जिम्मेदारी होती है। पक्के कार्य हेतु आवश्यक सामग्री जैसे पेड़ा (बल्ली/फन्टे) या अन्य औजार जो निर्माण कार्य में आवश्यक हैं, की अग्रिम व्यवस्था एवं उसकी उपलब्धता हेतु मेट द्वारा रोजगार सहायक/ग्राम सेवक/सरपंच/ कार्यकारी एजेन्सी को अनुरोध किया जाएगा तथा उक्त सामग्री कार्य शुरू होने से पहले प्राप्त हो जाए वह सुनिश्चित करना मेट का काम है।

3.4.5 कार्यस्थल पर सुविधाओं को सुनिश्चित करना

नरेगा कार्यस्थल पर जिन सुविधाओं का मेट द्वारा सुनिश्चित किया जाना जरूरी है उनकी सूची निम्न प्रकार है –

अ. छाया हेतु टेन्ट या कनात की व्यवस्था करना।

ब. प्राथमिक उपचार हेतु मेडिकल किट (First Aid Box) होनी चाहिए।

स. कार्यस्थल पर 6 वर्षों से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे यदि मजदूरों के साथ आते हैं तो उन बच्चों की देखभाल हेतु एक श्रमिक (यथासम्भव महिला श्रमिक) का रखना अनिवार्य है।

मेट की भूमिका के महत्त्वपूर्ण बिन्दु

(स्त्रोत सरकारी आदेश)

मेट

सामान्य भूमिका :
27 मार्च 2008 का आदेश
निम्न बिन्दुओं का आंकलन
कर श्रमिकों को काम (टास्क) देना

तकनीकी भूमिका :
4 जून 2008 का आदेश

कौनसा काम	कौनसी मिट्टी	कितनी दूरी?	ऊंचाई कितनी?
कार्य का प्रकार	मिट्टी का प्रकार	लीड	लिफ्ट

मेट की तकनीकी भूमिका

पखवाड़े के प्रथम दिन किये जाने वाले कार्य

1. श्रमिकों के लिए जारी किया जाने वाला मस्टररोल दो समूहों में बंटा होगा जिसमें हर एक समूह में अधिकतम पांच नाम लिखे होंगे। आपको मस्टररोल पर लिखे नाम अनुसार ही समूह बनाकर कार्य आवंटित करना है। समूह के सदस्य बदलने नहीं हैं।
2. पखवाड़े के प्रथम दिन श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मस्टररोल के कॉलम संख्या 12 पर उनके नाम के आगे लगवाने हैं।
3. समस्त श्रमिकों को इकट्ठा कर पूरी मजदूरी कमाने के लिए किस प्रकार कार्य करना है, उसकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए यथासम्भव चौकड़ी बनाकर या भूमि पर निशान लगाकर जानकारी देनी चाहिए।
4. प्रतिदिन 5 श्रमिकों के समूह द्वारा किये जाने वाले कार्य को मापकर देना होगा। समूह में कम श्रमिक होने की अवस्था में प्रति श्रमिक किये जाने वाले कार्य के अनुसार कार्य की गणना कर समूह को कार्य देना होगा।
5. प्रत्येक श्रमिक समूह को दैनिक गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा जो कि श्रमिक समूह के किसी एक सदस्य के पास रहेगा।

प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य

1. प्रत्येक दिन श्रमिक कार्ड पर श्रमिक समूह के आने जाने का समय लिखना होगा।
2. श्रमिकों को नाप कर कार्य देना है।
3. प्रतिदिन सवेरे कार्य शुरू करने के एक घण्टे के अंदर प्रत्येक श्रमिक की हाजरी मस्टररोल पर की जानी है।
4. दिन में श्रमिक समूह की कार्य करने की गति देखकर (यदि वे धीरे–धीरे कार्य कर रहे हों तो) कार्य पूरा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है।
5. शाम को श्रमिक समूह द्वारा किये गये कार्य को मापकर उसका इन्द्राज मस्टररोल के चौथे पेज में भाग 'क' पर अंकित करना होगा।
6. माप के अनुसार श्रमिक समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा कमाई गई मजदूरी की गणना मस्टररोल के चौथे पेज में भाग 'क' के बिन्दु संख्या 7 पर करनी होगी।
7. श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य से रोजाना अर्जित मजदूरी की जानकारी मस्टर रोल के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार सभी श्रमिकों को देनी होगी, तथा श्रमिक कार्ड पर इसका इन्द्राज करना होगा। यदि यह मजदूरी कम है तो श्रमिक को अगले दिन अधिक कार्य करने के लिए कहकर, कम काम की भरपाई उसी पखवाड़े में करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
8. परिणामस्वरूप प्रत्येक दिन एक समूह के कम से कम किसी एक श्रमिक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लगवाने होंगे।
9. यदि कार्य के दौरान किसी भी दिन एक श्रमिक समूह द्वारा कमाई गई राशि प्रति श्रमिक 83 रु. से कम आती है तब इसकी सूचना तत्काल आपको ग्राम रोजगार सहायक, ग्रामसेवक, सरपंच, कनिष्ठ तकनीकी सहायक को व्यक्तिगत रूप से देनी होगी।
10. कार्य के दौरान यदि कनिष्ठ तकनीकी सहायक अथवा कोई अन्य अधिकारी कार्य का निरीक्षण करने आता है तब दैनिक गणना प्रपत्र श्रमिक समूह से प्राप्त कर निरीक्षणकर्ता को जांच के लिए उपलब्ध कराना होगा। निरीक्षणकर्ता द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद वापस श्रमिक समूह के किसी सदस्य को लौटाना होगा।
11. यदि श्रमिक कार्य स्थल पर आने के पश्चात् कार्य नहीं करता है तब उसे मजदूरी देय नहीं होगी तथा इसका इन्द्राज श्रमिक कार्ड, मस्टररोल, कार्यपुस्तिका में किया जाएगा।

पखवाड़ा समाप्ति के पश्चात् किये जाने वाले कार्य

1. मस्टररोल के चौथे पेज में भाग 'ग' पर श्रमिक को मिलने वाली मजदूरी की गणना करनी होगी। उसका तरीका विस्तार से समझाया जा चुका है।
2. अन्य प्रत्रों के साथ मस्टररोल अगले ही दिन भुगतान हेतु ग्रामसेवक अथवा ग्राम रोजगार सहायक को देना होगा तथा उनके हस्ताक्षर पहले पेज में भाग 'क' के क्रम संख्या 1 पर हस्ताक्षर करायेंगे।

अध्याय–4

ई–मस्टररोल समझना और भरना

4.1 ई–मस्टररोल का परिचय

ई–मस्टररोल कम्प्यूटर द्वारा बनाया जाता है और इसमें बहुत सी जानकारी भरी हुई आती है। वह बहुत फैला हुआ और विस्तृत दस्तावेज है जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है। इसको सरल भाषा में राजस्थान सरकार की सरल मेट मार्गदर्शिका 2011 में अच्छी तरह से समझाया गया है।

ई–मस्टररोल का फायदा यह है कि इसमें मेट के काम को उचित स्थान और महत्त्व दिया गया है। साथ ही इसमें मेट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उचित दस्तावेज और खाका दिया गया है। पुराने मस्टररोल में वास्तविक रूप से मेट का मुख्य काम श्रमिकों की हाजिरी लगाना और कार्यस्थल का प्रबन्धन होता था। नये ई–मस्टररोल में मेट को रोज हर समूह द्वारा किये गये काम को नाप कर मस्टररोल में दर्ज करना है। इसके अलावा साधारण (अकुशल), अर्द्ध–कुशल और कुशल श्रमिकों की हाजिरी और साधारण श्रमिकों की दिन की मजदूरी की गणना भी करनी है। श्रमिकों का कार्य का आवंटन कर चौकड़ी बतानी है।

ई–मस्टररोल में बहुत सारी जानकारी कनिष्ठ लिपिक और कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा इन्द्राज (दर्ज) की जाएगी। मेट द्वारा इन्द्राज की जाने वाली जानकारी सीमित है।

ई–मस्टररोल का प्रथम पृष्ठ

नियम के अनुसार काम का पखवाड़ा पूरा होने के अगले दिन ही मेट को अपनी तरफ से पूरा (सभी जानकारी इन्द्राज) करके मस्टररोल कनिष्ठ लिपिक या ग्राम रोजगार सहायक को देना है। प्रथम पृष्ठ की क्रम संख्या 01 से मेट द्वारा कनिष्ठ लिपिक या रोजगार सहायक को मस्टररोल देने की तारीख दर्ज करनी है। इसके अलावा प्रथम पृष्ठ पर मेट का कोई भी काम नहीं है।

ई–मस्टररोल का दूसरा पृष्ठ

मस्टररोल के दूसरे पन्ने में मेट को अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिकों की जानकारी और हाजिरी दर्ज करनी होती है। मेटों की अपनी जानकारी और हाजिरी भी इसी पन्ने में दर्ज की जाती है। कारीगर, नल/बिजली मिस्त्री, खाती, आदि अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिक कहलाते हैं।

दूसरे पन्ने में मेट द्वारा दर्ज होने वाली जानकारी और उसको दर्ज करने के तरीके को ठीक से समझें। यह सारी जानकारी पहली बार देखने में बहुत मुश्किल लगती है। पर एक बार समझ में आ जाएगी तो बहुत सरल है। एक बार में पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, बार–बार पढ़ना होगा।

ई–मस्टररोल का तीसरा पृष्ठ

मेट द्वारा सबसे ज्यादा अकुशल श्रमिकों (साधारण श्रमिक जो खुदाई और उससे जुड़े हुए काम करते हैं) की हाजिरी दर्ज की जाती है। इस कारण से इस पन्ने को मेटों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए।

तीसरे पन्ने में मेट द्वारा दर्ज की जाने वाली जानकारी और उसकी गणना और दर्ज करने के तरीके को ठीक से समझें।

मेट द्वारा तीसरे पन्ने में दर्ज की जाने वाली जानकारियां –

– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मानव दिवस
– बी.पी.एल. मानव दिवस
– अकुशल (साधारण) श्रमिकों की हाजिरी

ई–मस्टररोल का चौथा पृष्ठ

ई–मस्टररोल का चौथा पन्ना श्रमिक समूह द्वारा रोज किये गये काम की माप और उसकी मजदूरी के बारे में है। मेट द्वारा श्रमिकों की मजदूरी की गणना भी इसी पन्ने पर दर्ज की जाती है।

इस पन्ने में मेट द्वारा दर्ज की जाने वाली जानकारी, कार्य की गणना और दर्ज करने के तरीके को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। इस पन्ने में श्रमिकों की मजदूरी की गणना है।

मेट द्वारा चौथे पन्ने में रोज दर्ज की जाने वाली जानकारी –

– कार्यरत श्रमिक संख्या
– टास्क चार्ट के अनुसार दिए गए (आवंटित) कार्य की मात्रा
– सम्पादित कार्य की लम्बाई
– सम्पादित कार्य की चौड़ाई
– सम्पादित कार्य की ऊंचाई/गहराई
– किये गये कार्य की गणना (मात्रा)
– दर
– समूह की मूल्यांकित राशि
– कार्यस्थल छोड़ने का समय
– समूह के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

मेट द्वारा पखवाड़े के अंत में दर्ज की जाने वाली जानकारी –

– समूह की कुल मूल्यांकित राशि
– समूह के कुल श्रमिक दिवस
– मेट के अनुसार पखवाड़े के दौरान प्रतिदिन श्रमिक मजदूरी की दर

अन्त में

ई–मस्टररोल एक पूरा और विस्तृत दस्तावेज है। इसमें मेट द्वारा दर्ज की जाने वाली को संक्षेप में इस पाठ के अन्दर समझाया गया है। ई–मस्टररोल में कई अलग–अलग जिनको भरने की जिम्मेदारी अलग–अलग अधिकारियों की है। ई–मस्टररोल शुरू में बड़ा मुश्किल और डरावना लगता है, पर इसको समझने और अभ्यास करने के बाद और छोटा लगने लगता है।

अध्याय–5

कार्य का आवंटन

5.1 कार्य (टास्क) का आवंटन

महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम में मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण मजदूरों द्वारा किये गये कार्य के आधार पर किया जाता है अर्थात् जितना कार्य उतना दाम। इसी कड़ी में मेट द्वारा कार्य का आवंटन सही तरीके से किये जाना वांछनीय ही नहीं, वरन् अनिवार्य है। यह इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यदि कार्य शुरू होने से पहले मजदूरों को यह जानकारी रहती है कि शाम तक कितना कार्य एक मजदूर के समूह को करना है, तो वे उसी हिसाब से कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं।

राजस्थान सरकार ने 4 जून, 2008 के आदेश द्वारा मेट की मुख्य तकनीकी भूमिकाओं को स्पष्ट किया है। कार्यस्थल पर मेट का मुख्य/प्रथम काम टास्क का आवंटन किया जाना है। कार्य के आवंटन के लिए मेट को चाहिए होगा कि वह कुछ सरल गणितीय सूत्र कंठस्थ (याद) करे तथा उनको कार्य के आवंटन के दौरान प्रयोग करे ताकि सही तरीके से कार्य का आवंटन हो सके।

वर्तमान में प्रयोग में ली जाने वाले ई–मस्टररोल के अंतिम पृष्ठ पर उस कार्य का विवरण लिखा जाना होता है जो प्रतिदिन समूह में या प्रति व्यक्ति दिया गया (आवंटन किया गया) है। इसके लिए मेट द्वारा किये जाने वाले चरण निम्न हैं –

1. प्रथम चरण/प्रक्रिया – नपती चार्ट के आधार पर प्रत्येक समूह को आवंटित कुल काम को करने के लिए लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई को निकाल कर मेट द्वारा मजदूरों को बताना आवश्यक है।
2. प्रति व्यक्ति या मजदूर समूह को आवंटित टास्क की मौके पर लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई फीते से नाप कर बताता है।

यहां मेट के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह कार्य का आवंटन करने हेतु तीन अवयवों (Components) जैसे मिट्टी का प्रकार, लीड एवं लिफ्ट तथा कार्य के प्रकार की बारीकी से जानकारी रखें। मजदूरों को दिये जाने वाले कार्यों की तालिका जो कि संलग्न हैं को अच्छी तरह से समझ लें ताकि कार्य का आवंटन सही तरीके से किया जा सके।

मेट को तीन प्रमुख बातों की जानकारी रखना आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित हैं –

1. **मिट्टी के प्रकार को समझना एवं सही पहचान करना –** मेट के लिए कई बार मिट्टी की सही पहचान करना एक चुनौती बन जाती है क्योंकि वहां साइट पर उसे स्वयं को निर्णय लेना होता है। अतः मिट्टी के प्रकार का सही निर्धारण करने के लिए निम्न तालिका में दी गई जानकारी को ध्यान में रखें।

क्र.सं.	मिट्टी का प्रकार	मिट्टी खोदने के लिए आवश्यक औजार	उदाहरण
1.	साधारण मिट्टी (Ordinary Soil)	ऐसी मिट्टी इस श्रेणी में आती है जो कि फावड़े तथा कुदाल से आसानी से खोदी जा सके।	बालुई दोमट मिट्टी, वनस्पति आच्छादित भूमि
2.	कठोर मिट्टी (Hard Soil)	ऐसी मिट्टी जो कि गेंती तथा शावल से खुदाई की जा सके।	चिकनी मिट्टी, कंकड़ वाली मिट्टी, ब्लैक कॉटन मिट्टी
3.	विघटित चट्टान (Disintegrate Soil)	ऐसी मिट्टी जो कि तेज धारदार शावल से ही खोदी जा सके।	मुरम, चट्टान

2. लीड तथा लिफ्ट को समझना –

(अ) **लीड (Lead)** : किसी भी प्रकार की मिट्टी को खुदाई के पश्चात् खुदी हुई मिट्टी को दूर ले जाकर डालने में जो दूरी लगी उसे लीड कहते हैं। इसके लिए महात्मा गाँधी नरेगा में यह तय किया गया कि 50 मीटर अर्थात् 165 फीट तक दूरी में कोई छूट नहीं है अर्थात् लीड जीरो रहेगी। 50 मीटर से अधिक और 100 मीटर तक 1 लीड मजदूरों को देय होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, लीड़ की संख्या बढ़ा दी जाती है।

(ब) **लिफ्ट (Lift)** : गुरुत्वाकर्षण ढाल के विपरीत मिट्टी खोदकर किसी निश्चित ऊंचाई पर मिट्टी डाली जाती है तो उस निश्चित ऊंचाई को लिफ्ट कहते हैं। महात्मा गाँधी नरेगा में 1.5 मीटर तक की ऊंचाई पर कोई लिफ्ट देय नहीं होगी अर्थात् कोई छूट देय नहीं है लेकिन मिट्टी डालने की ऊंचाई 1.5 मीटर से ऊपर तथा 3 मीटर तक 1 लिफ्ट देय है तथा 4.5 मीटर तक 2 लिफ्ट देय होगी।

3. टास्क/कार्यभार तालिका को समझना –

टास्क/कार्यभार तालिका (संलग्न) को मिट्टी के प्रकार, कार्य का प्रकार तथा लीड एवं लिफ्ट के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं।

उदाहरण –

एक साइट पर तालाब की खुदाई का कार्य किया जा रहा है जिसकी मिट्टी का प्रकार कठोर मिट्टी का है तथा मिट्टी को खुदाई करके 50 मीटर दूरी पर तथा 1.5 मीटर ऊंचाई पर डालना है। मेट कैसे पता लगाएंगे कि एक समूह को कितना घनफीट कार्य दिया जाना है?

हल –

1. सर्वप्रथम मेट को चाहिए कि वह 'कार्य की मात्रा की विवरणिका' तालिका (संलग्नक सं. 5) में देखें।
2. उपर्युक्त तालिका के भाग–ब में कठोर मिट्टी को देखें और पहली पंक्ति का संदर्भ लें।
3. प्रथम पंक्ति में 50 मीटर दूरी तथा 1.5 मीटर ऊंचाई वाली पंक्ति में देखो कि कितने घनफीट मिट्टी लिखी हुई है। जैसे कि यहां 1.5 मी. उठाव तथा 50 मी. दूरी तक ले जाना के आगे 46 घनफीट (एक व्यक्ति के लिए) तथा 230 घनफीट (जो कि समूह के लिए लिखी हुई है)।

5.2 चौकड़ी का आवंटन

चौकड़ी का सही प्रकार से आवंटन करना मेट का प्रमुख कार्य है, इसलिए मेट को यह समझ में आ गया है कि एक समूह जो कि तालाब खुदाई का कार्य कर रहा है, जिसकी मिट्टी कठोर है तथा उठाव 1.5 मी. तथा दूरी 50 मी. है, तो उस समूह को 230 घनफीट का कार्य करना होगा, अतः

1. सबसे पहले मेट को चाहिए कि वह दिये गये 230 घनफीट के कार्य को 5 लोगों के एक समूह को दे, और उस कार्य की गहराई 1 फीट तय करे।
2. उसके पश्चात् उस कार्य की चौड़ाई 10 फीट तय करनी चाहिए (साइट की परिस्थिति के अनुसार)।
3. मेट अंत में लम्बाई तय करे जो कि 23 फीट हो सकती है। इस तरह कार्य का कुल आवंटन 230 घनफीट होगा। इस प्रकार उस चौकड़ी की लम्बाई 23 फीट, चौड़ाई 10 फीट और गहराई 1 फीट होगी।

कक्षा अभ्यास :

1. मिट्टी के प्रकार की पहचान करना

क्र.सं.	मिट्टी के प्रकार	स्थानीय स्तर पर मिट्टी की विशेषताएँ
1.	साधारण मिट्टी	
2.	कठोर मिट्टी	
3.	विघटित चट्टान	

2. मेट तालिका को पूर्ण करवाए –

क्र.सं.	उदाहरणार्थ	लीड सं.	लिफ्ट सं.
1.	लीड 40 मी., लिफ्ट 1.2 मी.		
2.	लीड 60 मी., लिफ्ट 1.5 मी.		
3.	लीड 100 मी., लिफ्ट 1.9 मी.		
4.	लीड 150 मी., लिफ्ट 3 मी.		
5.	लीड 200 मी., लिफ्ट 1.5 मी.		
6.	लीड 75 मी., लिफ्ट 1.75 मी.		
7.	लीड 25 मी., लिफ्ट 2.1 मी.		
8.	लीड 110 मी., लिफ्ट 3.5 मी.		
9.	लीड 99 मी., लिफ्ट 4.6 मी.		
10.	लीड 51 मी., लिफ्ट 1.6 मी.		

3. ट्रेनर को चाहिए कि वे मेट को कहें कि वे पता लगाएं कि एक समूह में दिया गया कार्य कितना है तथा उसकी दी गई चौकड़ी की लम्बाई X चौड़ाई X गहराई कितनी है और यह भी आवश्यक है कि वे उक्त चौकड़ी के आधार का लेआउट (Layout) किसी समूह को देने का अभ्यास करवाएं।

अध्याय – 6

कार्य का मापन

चौकड़ी का आवंटन करने के बाद शाम के समय या कार्य समाप्त होने के किसी भी समय पर मेट के द्वारा कार्य का मापन (Measurement) किया जाना अपेक्षित रहता है। हालांकि कार्य शुरू करने के 1 घण्टे के बाद ही श्रमिकों को दिया गया कार्य पूरा करने के लिए मेट द्वारा प्रोत्साहित किया जाता रहना चाहिए, फिर भी एक अच्छे मेट के लिए आवश्यक है कि वह शाम के समय हर मजदूर/श्रमिक को यह बताए कि उस दिन की उसकी मजदूरी कितनी हुई, ताकि उसे पता रहे कि अगले दिन कार्य ज्यादा करना है तथा पखवाड़े (15 दिनों) के अंत में उसे कितनी मजदूरी मिलेगी।

सही तरीकों से मजदूरी का आंकलन करने के लिए निम्न चरणों से गुजरना आवश्यक है जो निम्न प्रकार से है –

(1) मेट को सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए कि आयतन व क्षेत्रफल निकालने का सूत्र तथा उसकी इकाई क्या होती है।

(2) मेट को चाहिए कि किसी भी कार्य (टास्क) का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र इस्तेमाल करे।

6.1 क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना

किये गये कार्य का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है –

क्षेत्रफल = लम्बाई X चौड़ाई

क्षेत्रफल को वर्गफीट, वर्गमीटर, वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है।

उदाहरणार्थ – किसी क्षेत्र की लम्बाई 10 फीट तथा चौड़ाई 10 फीट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ?

10 X 10 = 100 वर्ग फीट

किये गये कार्य की मात्रा निकालने या किसी भी कार्य (टास्क) का आयतन निकालने के लिए सूत्र हैं –

आयतन = लम्बाई X चौड़ाई X गहराई

आयतन हमेशा घन इकाई में दर्शाया जाता है जैसे घनफीट, घनमीटर।

उदाहरणार्थ – किसी चौकड़ी की लम्बाई 15 फीट, चौड़ाई 10 फीट तथा गहराई 1 फीट है तो उसके आयतन और किये गये कार्य की मात्रा कितनी होगी ?

किये गये कार्य की मात्रा (आयतन) = लम्बाई X चौड़ाई X गहराई

15 x 10 x 1 = 150 घनफीट

6.2 माप की इकाइयों को समझना तथा इकाई परिवर्तन

शाम के समय तथा कार्य के अंत में मेट द्वारा नपती लेते समय कई बार कार्य की लम्बाई, चौड़ाई व गहराई फीट के साथ इंच में आती है, ऐसी स्थिति में यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि मेट को इंच से फीट में बदलाव करना आना चाहिए। इंच से फीट में बदलने के लिए सूत्र निम्न है –

(इंच में 12 का भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं।)

सूत्र के आधार पर इंच को फीट में इस तरह बदला गया है –

इंच		फीट
1"	=	0.08
2"	=	0.16
3"	=	0.25
4"	=	0.33
5"	=	0.41
6"	=	0.50
7"	=	0.58
8"	=	0.66
9"	=	0.75
10"	=	0.83
11"	=	0.91
12"	=	1 फीट

उदाहरणार्थ – यदि चौकड़ी की लम्बाई 15 फीट 4 इंच हो तो मेट उसे 15.4 फीट नहीं लिख सकता है और यदि लिखता है तो गलत होगा। अतः मेट को चाहिए कि उपरोक्त टेबल में 4 इंच के आगे चूंकि = 0.33 फीट लिखा है तो 15 फीट 4 इंच को 15.33 फीट लिखें।

अर्थात् 15 + 0.33 = 15.33 फीट

6.3 प्रति व्यक्ति मजदूरी की गणना

मेट द्वारा कुल कार्य का आयतन घनफीट में निकालने के पश्चात् समूह के द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी दर निकाली जाती है, जिसका सूत्र निम्न है –

$$\text{कार्य की दर प्रति व्यक्ति} = \frac{\text{कुल किया गया कार्य}}{\text{कुल किया गया कार्य}} \times \text{न्यूनतम मजदूरी}$$

उदाहरण – किसी तालाब की गहराई का कार्य ग्रुप नं 1 को दिया गया। 230 घनफीट काम 5 महिलाओं के समूह को दिया गया। उन्होंने 200 घनफीट कार्य शाम तक पूरा कर पाये तो ग्रुप नं. 1 के प्रति सदस्य की मजदूरी दर क्या होगी? और ग्रुप नं. 1 के पांचों सदस्यों की कुल मजदूरी क्या होगी ?

$$\text{कार्य की दर प्रति व्यक्ति} = \frac{200}{230} \times 163$$

$$= 0.869 \times 163$$

$$= 141.6 \text{ रुपये}$$

समूह के पांचों व्यक्तियों की कुल मजदूरी

$$= 141.6 \times 5$$

$$= 708.23 \text{ रुपये}$$

अध्याय–7

बी.एस.आर. पढ़ना और इस्तेमाल करना

7.1 बी.एस.आर. का परिचय

बी.एस.आर. का पूरा नाम है 'बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स'। बी.एस.आर. को नरेगा में एस.ओ.आर. अर्थात् 'शेड्यूल ऑफ रेट्स' कहा जाता है। बी.एस.आर. मजदूरों/श्रमिकों को दिये जाने वाले कार्य (टास्क की मात्रा) का मूल्यांकन करने का टूल है जिसमें मिट्टी के प्रकार, लीड, लिफ्ट को आधार मानकर दिये जाने वाले कुल कार्य की गणना की जाती है।

सरकारी विभाग सिविल काम का एस्टीमेट बनाने और काम का भुगतान करने के लिए उचित दर का इस्तेमाल करते हैं। यह दर राजस्थान सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाती है। बी.एस.आर. में अलग–अलग श्रेणी के श्रमिकों के लिए श्रमिक सामग्री दर, ढुलाई दर आदि होती है। बी.एस.आर. का फायदा यह है कि किसी एक क्षेत्र में होने वाले कामों की दर में समानता रहती है। हर ब्लॉक (पंचायत समिति) की अपनी अलग बी.एस.आर. होती है। बी.एस.आर. की दर जमीन, मिट्टी के प्रकार और दूसरी सारी बातों पर निर्भर करती है। चूंकि एक ब्लॉक की मिट्टी अलग होती है, इसलिए उसकी बी.एस.आर. भी अलग होती है। समय–समय पर राजस्थान सरकार सरकारी अधिसूचना जारी कर बी.एस.आर. की दर को पुनः संशोधित करती रहती है।

'शेड्यूल ऑफ रेट्स' बनाने के लिए सरकार एक समिति का गठन जिला स्तर पर तथा पंचायत समिति स्तर पर करती है। जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है तथा सी.ई.ओ. जिला परिषद्, डी.आर.डी.ए. के वरिष्ठ अभियंता, सिंचाई विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी (इंजीनियर) इस कमेटी के सदस्य होते हैं। शेड्यूल ऑफ रेट्स में कुछ खामियों को कम करने के लिए राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने दिनांक 30.06.2008 पत्र क्रमांक F.4/(16)RD/ER/NREGA/06 के द्वारा आदेशित किया गया कि अलग–अलग प्रकार की मिट्टी में काम करने वाले मजदूर द्वारा कितना कार्य किया जाना अनिवार्य है। इसकी टेबिल संलग्न है। SOR (शेड्यूल ऑफ रेट्स) पंचायत समिति वार तैयार किया जाता है।

7.2 मेट के लिए बी.एस.आर. की जरूरत : बी.एस.आर. में अलग–अलग कामों के लिए श्रमिक दरें दी जाती हैं। इन दरों के आधार पर ही श्रमिकों की मजदूरी की गणना की जाती है। इसलिए एक मेट को ठीक से बी.एस.आर. पढ़ना आना चाहिए।

7.3 बी.एस.आर. सम्बन्धित कुछ जरूरी शब्दों का परिचय : बी.एस.आर. को अधिक समझने के लिए उसमें प्रयोग किये जाने वाले तकनीकी शब्दों को समझना जरूरी है।

7.3.1 लिफ्ट : लिफ्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 'ऊंचाई' (उठाव)। लिफ्ट का तात्पर्य उस चढ़ाई या उठाव से है जिस स्थान से मिट्टी उठाकर गंतव्य स्थान जहां मिट्टी डाली जानी है के बीच के उठाव की दूरी है। अगर खोदी हुई मिट्टी को 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर फेंकना है तो इस अतिरिक्त (1.5 मीटर से ज्यादा) ऊंचाई को लिफ्ट (उठान) कहते हैं। इसके लिए भी बी.एस.आर. में अलग से दर दी जाती है।

उदाहरण – 1 : 5 फीट (1.5 मीटर) उठाव तक = 0 लिफ्ट

5 फीट उठाव

चौकड़ी खुदाई स्थल — 5 फीट उठाव = 0 लिफ्ट

उदाहरण – 2 : 1 लिफ्ट = 10 (3 मीटर) का उठाव

चौकड़ी खुदाई स्थल — 10 फीट (3 मीटर) = 1 लिफ्ट

याद रखने योग्य बातें

1. 5 फीट (1.5 मीटर) उठाव तक 0 लिफ्ट
2. 10 फीट (3 मीटर) उठाव तक 1 लिफ्ट
3. 15 फीट (15 फीट) उठाव तक 2 लिफ्ट

इस तरह प्रति 5 फीट उठाव के बाद 1 अतिरिक्त लिफ्ट मिलेगी। मेट द्वारा प्रपत्र में लिफ्ट के कॉलम में लिफ्ट संख्या भरी जायेगी।

7.3.2 लीड (Lead) : लीड भी अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ दूरी से है। लीड का मतलब उस दूरी से है जो उन दो स्थानों के बीच की दूरी है जहां से मिट्टी खुदाई करके उठाई जाती है और जहां पर मिट्टी डाली जाती है। अगर खोदी हुई मिट्टी को 50 मीटर दूरी से अधिक फेंकना होता है, इसके लिए बी.एस.आर. में अलग से दर दी जाती है। लीड की दर के पीछे सोच यह है कि ज्यादा दूर तक मिट्टी ढोने के लिए श्रमिकों को ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए।

चौकड़ी खुदाई स्थल	लीड	गंतव्य स्थान जहां मिट्टी खुदाई के पश्चात् डाली जाती है।
1. 165 फीट (50 मीटर) दूरी तक		0 लीड
2. 330 फीट (100 मीटर) दूरी तक		1 लीड
3. 495 फीट (150 मीटर) दूरी तक		2 लीड
चौकड़ी खुदाई स्थल		गंतव्य स्थान जहां मिट्टी डाली जानी है।

ध्यान रखने योग्य बातें :

– प्रति 165 फीट (50 मीटर) की दूरी के बाद 1 अतिरिक्त लीड मिलेगी।

– माप प्रपत्र में लीड के कॉलम में मेट को लीड की संख्या भरनी होगी।

7.4 मिट्टी के प्रकार : बी.एस.आर. में मिट्टी के तीन प्रकार दर्शाए गए होते हैं, जिसके आधार पर मिट्टी के कार्यों के आवंटन हेतु मात्रा का निर्धारण किया जाता है –

1. साधारण मिट्टी 2. कठोर मिट्टी 3. मुरम बोल्डर मिक्स मिट्टी

टास्क का भार (आयतन) मिट्टी के आधार पर बढ़ता है तथा घटता है। तीनों प्रकार की मिट्टी में टास्क का भार निम्न प्रकार होता है –

1. **साधारण मिट्टी में** प्रति मजदूर द्वारा किया जाने वाले कार्य 46 क्यूबिक (घन) फीट होता है तथा समूह के द्वारा किया जाने वाला कार्य 230 घनफीट होता है, जिस पर 0 लीड और 0 लिफ्ट लागू रहेंगी।
2. **कठोर मिट्टी (तालाब एवं रोड) में** 0 लीड तथा 0 लिफ्ट में एक मजदूर द्वारा किया जाने वाले कार्य 41 घनफीट तथा समूह द्वारा किया जाने वाला कार्य 205 घनफीट होगा।
3. **मुख्य बोल्डर मिक्स मिट्टी में** 0 लीड तथा 0 लिफ्ट में एक मजदूर द्वारा किया जाने वाला कार्य 37 घनफीट तथा समूह द्वारा किया जाने वाला कार्य 185 घनफीट होगा।

किसी भी प्रकार की मिट्टी में जैसे–जैसे अतिरिक्त लीड और लिफ्ट बढ़ेगी, वैसे–वैसे प्रति मजदूर किये जाने वाले कार्य की मात्रा (आयतन) कम होती जाएगी। कार्य की विस्तृत जानकारी संलग्नक में देखी जा सकती है। नीचे दी गई तालिका से मिट्टी को पहचानने में मदद मिलेगी –

मिट्टी का प्रकार	**खुदाई के औजार का विवरण**
साधारण/मुलायम मिट्टी	फावड़े से आसानी से खुद जाने वाली
सख्त, चिकनी, कंकर मिट्टी	कुदाल से फोड़कर ढीली करने के बाद फावड़े से खुदने वाली
कड़ी, मुरम	कुदाल और दूसरे भारी औजारों से मेहनत से ढीली होने वाली
विघटित चट्टानी	खुदाई के लिए कुदाल, क्रो बार और दूसरे भारी औजारों की हल्की जरूरत
साधारण चट्टानी	खुदाई के लिए कुदाल, क्रो बार और दूसरे भारी औजारों की भारी जरूरत

7.5 बी.एस.आर. पढ़ना : बी.एस.आर. को पढ़कर उसमें से मतलब की जानकारी निकाल लेना मुश्किल काम नहीं है। बस उसको समझने के लिए शुरू में थोड़ी मेहनत करनी होगी।

बी.एस.आर. का खाका

क्र.सं.	**कार्य विवरण**	**इकाई**	**मेट एवं अकुशल श्रमिक रहित**	**श्रमिक दर**	**दर सामग्री सहित**	**सामग्री घटक गुणांक**

अकुशल श्रमिक बी.एस.आर. पढ़ने के लिए तालिका में जो कॉलम जरूरी हैं, वे हैं –

– कार्य विवरण – क्रम संख्या – इकाई – मेट एवं कुशल श्रमिक

कार्य विवरण : इस कॉलम में काम के बारे में ब्यौरा (विवरण) रहता है। बी.एस.आर. पढ़ने के लिए अपने काम को सबसे पहले कार्य विवरण कॉलम में ढूंढें।

क्रम संख्या : अलग–अलग मिट्टी के प्रकार की श्रमिक क्रम संख्या अलग–अलग भाग (जैसे अ, ब, स, द) के नाम से अलग–अलग पंक्तियों (लाइनों) में दी जाती हैं। अपने काम की मिट्टी के अनुसार कार्य विवरण की पंक्तियां पढ़िए।

इकाई : इस कॉलम में श्रमिक की इकाई दी जाती है। ई–मस्टररोल में माप की इकाई आमतौर पर फिट होती है जबकि यहां पर मीटर है। इस उलझन में से निकलने का रास्ता यह है कि मेट काम की माप को फिट को मीटर में परिवर्तित कर ले। माप की इकाई परिवर्तन के बाद श्रमिकों द्वारा किए गए काम की गणना वर्ग मीटर या घन मीटर में करें।

मेट एवं कुशल श्रमिक रहित दर : अकुशल श्रमिक की दर प्रति इकाई यहां पर दी जाती है। इसी दर को वितरित काम की मात्रा से गुणा करने पर श्रमिक की मजदूरी का अंक मिलता है।

अन्त में : एक अच्छे मेट को ठीक से बी.एस.आर. को पढ़ना आना चाहिए। यह एक आसान काम होता है और सरलता से सीखा जा सकता है।

अध्याय–8

मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने की प्रक्रिया

8.1 मजदूरी भुगतान के चरण तथा प्रक्रिया

पखवाड़े की समाप्ति से लेकर मजदूरों की मजदूरी तक के भुगतान संबंधी प्रक्रिया को चार चरणों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार से है –

1. मस्टररॉल को मेट द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को जमा करना।
2. मस्टररॉल कार्यकारी एजेन्सी द्वारा पंचायत समिति को जमा किया जाता है।
3. पंचायत समिति द्वारा मजदूरों की राशि संबंधित व्यक्ति को हस्तान्तरण करना।
4. मस्टररॉल को पुनः ग्राम पंचायत में जमा करना।

8.2 मस्टररॉल को भुगतान हेतु कार्यकारी एजेन्सी को मेट द्वारा जमा किया जाना

दिये गये कार्य के पखवाड़े (15 दिन) के पूरे होने के अगले दिन मेट द्वारा मस्टररॉल को कार्यकारी एजेन्सी के रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक को मजदूरों की मजदूरी के भुगतान हेतु जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर भुगतान में देरी होने की सम्भावना रहती है।

8.3 मस्टररॉल/ई–मस्टररॉल को कार्यकारी एजेन्सी द्वारा पंचायत समिति में जमा करना

यह चरण अति महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि पंचायत समिति से ही मजदूरों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है।

1. सर्वप्रथम पंचायत सचिव/कनिष्ठ लिपिक (एल.डी.सी.) द्वारा मस्टररॉल कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जे.टी.ए.) को जमा किया जाता है जो कि पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिनों में किया जाना आवश्यक है।
2. कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जे.टी.ए.) कार्य को माप कर माप पुस्तिका में दर्ज करता है तथा स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करता है और पखवाड़े की समाप्ति के 5 दिन में लेखा सहायक पंचायत समिति को जमा करता है।
3. पखवाड़े की समाप्ति के 6 दिनों के अंदर कार्यकारी एजेन्सी मस्टररॉल पर पास आर्डर लगाने के लिए पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक को भेजती है।
4. पखवाड़े की समाप्ति के 8 दिनों के अंदर कार्यकारी एजेन्सी द्वारा मस्टररॉल पर पास आर्डर लगाकर पंचायत समिति को भेजा जाता है।
5. पखवाड़े की समाप्ति के 10 दिनों के अंदर लेखा सहायक पंचायत समिति द्वारा कम्प्यूटर जेनेरेटिड वेज लिस्ट के साथ एफ.वी.सी. बिल तैयार करता है।
6. पखवाड़े की समाप्ति के 11 दिन के अंदर कनिष्ठ लेखाकार पंचायत समिति द्वारा भुगतान संस्था (बैंक या पोस्ट ऑफिस) को FTO (Fund Transfer Order) भेजने हेतु तैयार किया जाता है।

8.4 राशि का हस्तान्तरण करना

पखवाड़े के 12वें दिन कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गाँधी नरेगा, पंचायत समिति वेज लिस्ट अनुसार राशि का FTO भुगतान हेतु सम्बन्धित बैंक या पोस्ट ऑफिस को Online भेजता है।

8.5 मस्टररॉल को पुनः ग्राम पंचायत में जमा करना

पखवाड़ा समाप्ति के 13–15 दिनों के अंदर पंचायत समिति द्वारा मस्टररॉल रिकार्ड संधारण हेतु पुनः पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक को भेजा जाता है।

उपरोक्त चरणों तथा प्रक्रियाओं को यदि समय पर सभी कार्मिकों और मेटों द्वारा अपनाया जाए तो 15 दिनों के भीतर मजदूरों का भुगतान किया जाना सम्भव है।

8.6 क्षतिपूर्ति भत्ता

यदि मजदूर के खाते में 15 दिवस में मजदूरी की राशि उसके खाते में जमा नहीं होती है तो 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से गणना कर मजदूर के खाते में स्वतः ही कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गाँधी नरेगा, पंचायत समिति, राशि का FTO बनाकर Online भेजता है। साथ ही विलम्ब के दोषी कार्मिकों से क्षतिपूर्ति भत्ते की वसूली की जाती है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना राजस्थान अन्तर्गत
अकुशल श्रमिक द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य की मात्रा की विवरणिका
(दिनांक 4.6.2008 से प्रभावी)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	एक मजदूर द्वारा किये जाने वाले कार्य की मात्रा (घनफीट में)	5 मजदूरों द्वारा किये जाने वाले कार्य की मात्रा (घनफीट में)
1.	**तालाब खुदाई/गहराई का कार्य (तालाब/बन्ध/जोहड तथा खाला/नई नहर आदि वाटर रिटेनिंग संरचनाओं का कार्य)**		
1.1	तालाब/बन्ध/जोहड/नया खाला/नई नहर आदि वाटर रिटेनिंग संरचनाओं के निर्माण कार्य के लिए–मिट्टी का कार्य (सूखी या गीली), 15 सेमी. परत में डालना, ढेलों को तोड़ना, घास–पात तथा कंकर बीनकर अलग करना तथा मिट्टी की दरेसी करना तथा दुरमुट से मिट्टी दबाना।		
	अ. साधारण मिट्टी में (Ordinary Soil)		
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	46	230
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	32	160
	1.5 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	24	120
	1.5 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	20	100
	3 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	40	200
	3 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	29	145
	3 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	22	110
	3 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	18	90
	4.50 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	35	175
	4.50 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	26	130
	4.50 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	21	105
	4.50 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	18	90
	ब. कठोर मिट्टी में (Hard Soil)		
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	41	205
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	29	145
	1.5 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	22	110
	1.5 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	19	95
	3.0 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	36	180
	3.0 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	27	135
	3.0 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	21	135
3.2	मिट्टी का कार्य भराई में, सड़क के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मी. उठान व 50 मी. दूरी तक निष्पादन डले तोड़ना तथा 25 सेमी. परतों में बिछाना तथा दुरमुट से दबाना तथा समतल करना व केम्बर बनाना		
	अ. साधारण मिट्टी	86	430
	ब. सख्त मिट्टी	57	285
	स. कंकर मिट्टी	42	210

4.0	**अन्य कार्य (Other Works)**		
	नींव खाई पर नाला में 1.5 मीटर गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना, तल को कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी में भरना तथा बची मिट्टी को 60 मीटर तक की दूरी तक निस्तारण करना।		
4.1	**अ. साधारण मिट्टी में (Ordinary Soil)**		
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	50	250
	3.0 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	43	215
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	33	165
	3.0 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	31	155
	ब. सख्त, चिकनी, कंकर मिट्टी में (Hard Soil)		
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	40	200
	3.0 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	36	180
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	29	145
	3.0 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	26	130
	स. विघटित चट्टान (Disintegrated Rock)		
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	27	135
	3.0 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	25	125
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	21	105
	3.0 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	20	100
	द. साधारण चट्टान (Ordinary Rock)		
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	21	105
	3.0 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	19	95
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	17	85
	3.0 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	17	85
5.0	**भवन निर्माण (Building Work)**		
5.1	नींव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर तक फैंकना		
	(अ) साधारण/मुलायम मिट्टी में	50 घनफीट	250 घनफीट
	(ब) सख्त चिकनी/कंकर मिट्टी में	40 घनफीट	200 घनफीट
	(स) विघटित चट्टान	27 घनफीट	135 घनफीट
	(द) साधारण चट्टान	20 घनफीट	100 घनफीट
5.2	अतिरिक्त 1.5 मीटर उठाने के लिए	309 घनफीट	1545 घनफीट
5.3	अतिरिक्त 50 मीटर दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए	99 घनफीट	495 घनफीट
5.4	खुदी हुई मिट्टी/रेत को नींव में तथा कुर्सी में 50 मी. तक दूरी में डालना तथा समतल करना, पानी डालना तथा दुरमुट से कूटना	99 घनफीट	495 घनफीट
5.5	नींव में धाड़ला, कंकर या झांझारा डालना तथा कुटाई करना	99 घनफीट	495 घनफीट
6.0	**विविध कार्य (Miscellaneous Work)**		
6.1	जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित	753 वर्गफीट	3765 वर्गफीट
6.2	जंगल की सफाई, भारी झाड़ियां, 39 सेमी. लपेट वाले पौधे भी काटना सहित	603 वर्गफीट	3015 वर्गफीट
6.3	खुदी हुई मिट्टी, टीलों या नाले में से 1.5 मी. उठान या 50 मी. तक ले जाना तथा समतल करना	83 वर्गफीट	415 वर्गफीट

7.0	**सड़क कार्य (Road Work)**		
7.1	साईट की सफाई, जड़ों, तनों, वनस्पति, झाड़ियां, पेड तथा सेपलिंग 15 सेमी. लपेट तने वालों को उखाड़ना तथा मलवे को हटाना आदि	1883 वर्गफीट	9415 वर्गफीट
7.2	पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, शाखाओं तथा तने को काटना, खड्डे को ठीक करना, काम आने वाले भाग को चट्टा लगाना तथा काम में न आने वाले भाग को दूर फेंकना आदि।		
	(1) 150 से 300 मि.मी. लपेट वाले	1.4 पेड़	7 पेड़
	(2) 300 से 600 मि.मी. लपेट वाले	0.7 पेड़	3.5 पेड़
	(3) 600 से 900 मि.मी. लपेट वाले	0.4 पेड़	2 पेड़
	(4) 900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले	0.28 पेड़	1.4 पेड़
	(5) 1500 से 2100 मि.मी. लपेट वाले	0.21 पेड़	1.05 पेड़
	(6) 2100 से 2700 मि.मी. लपेट वाले	0.14 पेड़	0.7 पेड़
7.3	विस्फोट किये हुए चट्टान से पत्थरों को छांटना और चट्टे लगाना	18 घनफीट	90 घनफीट
7.4	पत्थरों को निम्न नामीय माप की गिट्टी हथौड़े से तोड़ना		
	(1) 80 मि.मी. नामीय माप के	75 घनफीट	375 घनफीट
	(2) 63 मि.मी. नामीय माप के	66 घनफीट	330 घनफीट
	(3) 40 मि.मी. नामीय माप के	25 घनफीट	125 घनफीट
	(4) 20 मि.मी. नामीय माप के	20 घनफीट	100 घनफीट
	(5) 12 मि.मी. नामीय माप के	13 घनफीट	65 घनफीट
	(6) 10 मि.मी. नामीय माप के	10 घनफीट	50 घनफीट
7.5	हथौड़े से झामा ईंटों को निम्न नामीय माप की गिट्टी बनाना		
	(1) 63 मि.मी. नामीय माप के	50 घनफीट	250 घनफीट
	(2) 40 मि.मी. नामीय माप के	38 घनफीट	190 घनफीट
	(3) 20 मि.मी. नामीय माप के	23 घनफीट	115 घनफीट
	(4) 10 मि.मी. नामीय माप के	20 घनफीट	100 घनफीट
7.6	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को चढ़ाना (Loading)	124 घनफीट	620 घनफीट
7.7	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को उतारना (Unloading)	177 घनफीट	885 घनफीट
7.8	सामग्री का केवल चट्टा लगाना	397 घनफीट	1985 घनफीट
7.9	सड़क निश्चित केम्बर–ग्रेड में ग्रेवल, कंकर, क्वेरी रबिश तथा कोर्स एग्रीगेट को 15 से.मी. से कम मोटाई में बिछाना व फैलाना	83 घनफीट	415 घनफीट
8.0	**सामाजिक वानिकी (Social Forestry)**		
8.1	1.50 X 0.90 x 1.2 मीटर माप की खड्डा बाड बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	50 घनफीट	250 घनफीट
	(2) कठोर मिट्टी में	40 घनफीट	200 घनफीट
8.2	डोला फेन्सिंग जिसमें नीचे का आधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. और ऊंचाई 1.2 मीटर हो, दरेसी तथा मिट्टी दबाने सहित		
	(1) साधारण मिट्टी में	12 फीट	60 फीट
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	8 फीट	40 फीट
	(3) कंकर–मूरम मिट्टी में	6 फीट	30 फीट

8.3	45 X 45 X 45 से.मी. माप के गड्ढे करना		
	(1) साधारण मिट्टी में	16 खड्डे	80 खड्डे
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	14 खड्डे	70 खड्डे
	(3) कंकर–मूरम मिट्टी में	7 खड्डे	35 खड्डे
8.4	पौधारोपण करना		
	(1) सामान्य जमीन में	32 पौधे	160 पौधे
	(2) पथरीली जमीन में	26 पौधे	130 पौधे
8.5	बीज बुवाई बनाये गये रिज पर	522 फीट	2610 फीट
8.6	पौधों को पानी पिलाना 15 ली. प्रति पौधा	54 पौधे	270 पौधे
8.7	पौधों की निडाई गुडाई करना, 15 सेमी. गहराई तक तथा 45 सेमी. अर्द्धव्यास तक	78 पौधे	390 पौधे
8.8	थावला बनाना, कम से कम 50 सेमी. अर्द्धव्यास के		
	(1) सामान्य जमीन में	54 पौधे	270 पौधे
	(2) पथरीली जमीन में	40 पौधे	200 पौधे
8.9	उड़ते हुए रेत टीबों पर 500 मी. दूरी तक से सनिया छीप उखाड़ कर लाना और मलचिंग करना	42 फीट	210 फीट

माप परिवर्तन तालिका (Conversion Table)

1 मीटर	3.28 फीट
1 वर्ग मीटर	10.764 वर्ग फीट
1 वर्ग फीट	0.0929 वर्ग मीटर
1 घन मीटर	35.314 घन फीट
1 घन फीट	0.02832 घन मीटर
1 एकड़	0.405 हैक्टेयर
1 हैक्टेयर	2.471 एकड़
1 आर are	100 वर्ग मीटर
1 हैक्टेयर	100 आर are = 100 मी. x 100 मी. = 10000 वर्ग मी.
1 बीघा शाहजहानी जरीब	3025 वर्ग गज = 2529 वर्ग मीटर
1 हैक्टेयर	3.954 बीघा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान

श्रमिक टास्क का विवरण

टास्क बोर्ड	कार्य	विवरण	मिट्टी की किस्म	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मी. दूर तक ले जाना (एक लीड एक लिफ्ट)		लीड एवं लिफ्ट द्वारा कार्य 1 मजदूर द्वारा कार्य
1.	तालाब खुदाई/गहराई का कार्य (तालाब/बन्ध/जोहड़/नया खाला/नई नहर आदि वाटर रिटेनिंग संरचनाओं का निर्माण कार्य)	तालाब/बन्ध/ जोहड़/नया खाला/नई नहर आदि वाटर रिटेनिंग संरचनाओं के निर्माण कार्य के लिये मिट्टी का कार्य (सूखी या गीली), 15 से.मी. परत में डालना, घास–पात तथा कंकर बीनकर अलग करना तथा मिट्टी की दरेसी करना तथा दुरमुट से मिट्टी दबाना	साधारण मिट्टी	46 घनफुट लम्बाई 10 फीट चौड़ाई 4 फीट 8 इंच गहराई 1 फीट	46 x 5 = 230 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 11 फीट 6 इंच गहराई 1 फीट	1. 1.5 मीटर उठाव 100 मी. दूरी तक ले जाना – 8 फीट x 4 फीट x 1 फीट (32 घनफीट) 2. 3 मी. उठाव 50 मी. दूरी तक ले जाना – 8 फीट x 5 फीट x 1 फीट (40 घनफीट) 3. 3 मी. उठाव 100 मी. दूरी तक ले जाना – 8 फीट x 3 फीट 10 इंच x 1 फीट (29 घनफीट)
			कठोर मिट्टी	41 घनफीट लम्बाई 10 फीट चौड़ाई 4 फीट 2 इंच गहराई 1 फीट	41 x 5 = 205 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 10 फीट 3 इंच गहराई 1 फीट	1. 1.5 मीटर उठाव 100 मी. दूरी तक ले जाना – 8 फीट x 3 फीट 10 इंच x 1 फीट (29 घनफीट) 2. 3 मी. उठाव 50 मी. दूरी तक ले जाना – 6 फीट x 6 फीट x 1 फीट (36 घनफीट) 3. 3 मी. उठाव 100 मी. दूरी तक ले जाना – 9 फीट x 3 फीट x 1 फीट (27 घनफीट)
			मुर्रम बोल्डर मिक्स मिट्टी	37 घनफीट लम्बाई 10 फीट चौड़ाई 3 फीट 9 इंच गहराई 1 फीट	37 x 5 = 165 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 9 फीट 3 इंच गहराई 1 फीट	1. 1.5 मीटर उठाव 100 मी. दूरी तक ले जाना – 9 फीट x 3 फीट x 1 फीट (27 घनफीट) 2. 3 मी. उठाव 50 मी. दूरी तक ले जाना – 8 फीट x 4 फीट 1 इंच x 1 फीट (33 घनफीट) 3. 3 मी. उठाव 100 मी. दूरी तक ले जाना – 8 फीट x 3

						फीट 1 इंच x 1 फीट (25 घनफीट)
2.	सड़क निर्माण कार्य (कटाई)	मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान व 50 मीटर तक निष्पादन तथा डागवेल लगाना, होंदा में केम्बर, ग्रेड लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी करना	साधारण मिट्टी	100 घनफुट लम्बाई 10 फीट चौड़ाई 10 फीट गहराई 1 फीट	100 x 5 = 500 घनफुट लम्बाई 25 फीट चौड़ाई 10 फीट गहराई 2 फीट	
			सख्त मिट्टी	63 घनफुट लम्बाई 9 फीट चौड़ाई 7 फीट गहराई 1 फीट	63 x 5 = 315 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 15 फीट 9 इंच गहराई 1 फीट	
			कंकर मिट्टी	46 घनफुट लम्बाई 8 फीट चौड़ाई 5 फीट 9 इंच गहराई 1 फीट	46 x 5 = 230 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 11 फीट 6 इंच गहराई 1 फीट	
			मुलायम मिट्टी	28 घनफुट लम्बाई 7 फीट चौड़ाई 4 फीट गहराई 1 फीट	28 x 5 = 140 घनफुट लम्बाई 14 फीट चौड़ाई 10 फीट गहराई 1 फीट	
3.	सड़क निर्माण कार्य (मिट्टी भराई)	मिट्टी का कार्य भराई में, सड़क के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान व 50 मीटर दूरी तक निष्पादन तथा डले तोड़ना तथा 25 से.मी. परतों में बिछाना तथा दुरमुट से दबाना तथा समतल करना व कैम्बर बनाना।	साधारण मिट्टी	86 घनफुट लम्बाई 10 फीट 6 इंच चौड़ाई 8 फीट 3 इंच गहराई 1 फीट	86 x 5 = 430 घनफुट लम्बाई 21 फीट 6 इंच चौड़ाई 20 फीट गहराई 1 फीट	
			सख्त मिट्टी	57 घनफुट लम्बाई 9 फीट चौड़ाई 6 फीट 4 इंच गहराई 1 फीट	57 x 5 = 285 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 14 फीट 3 इंच गहराई 1 फीट	
			कंकर मिट्टी	42 घनफुट लम्बाई 7 फीट चौड़ाई 6 फीट गहराई 1 फीट	42 x 5 = 210 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 10 फीट 6 इंच गहराई 1 फीट	
4.	खाला/नहर के पटडे की मिट्टी मरम्मत का कार्य (मिट्टी कटाई)	मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान व 50 मीटर तक निष्पादन तथा डागवेल लगाना, तथा निष्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी करना	साधारण मिट्टी	100 घनफुट लम्बाई 10 फीट चौड़ाई 10 फीट गहराई 1 फीट	100 x 5 = 500 घनफुट लम्बाई 25 फीट चौड़ाई 20 फीट गहराई 1 फीट	

			सख्त मिट्टी	63 घनफुट लम्बाई 9 फीट चौड़ाई 7 फीट गहराई 1 फीट	63 x 5 = 315 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 15 फीट 9 इंच गहराई 1 फीट	
			कंकर मिट्टी	46 घनफुट लम्बाई 10 फीट चौड़ाई 4 फीट 8 इंच गहराई 1 फीट	46 x 5 = 230 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 11 फीट 6 इंच गहराई 1 फीट	
			मुलायम मिट्टी	28 घनफुट लम्बाई 7 फीट चौड़ाई 4 फीट गहराई 1 फीट	28 x 5 = 140 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 7 फीट गहराई 1 फीट	
5.	खाला/नहर के पटडे की मिट्टी मरम्मत का कार्य (मिट्टी भराई)	मिट्टी का कार्य भराई में, खाला/नहर के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान व 50 मीटर दूरी तक निष्पादन, डले तोड़ना तथा 25 सेमी. परतों में बिछाना तथा दुरमुट से दबाना तथा समतल करना।	साधारण मिट्टी	86 घनफुट लम्बाई 10 फीट 9 इंच चौड़ाई 8 फीट गहराई 1 फीट	86 x 5 = 430 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 10 फीट 9 इंच गहराई 2 फीट	
			सख्त मिट्टी	57 घनफुट लम्बाई 9 फीट 9 इंच चौड़ाई 6 फीट गहराई 1 फीट	57 x 5 = 285 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 9 फीट 6 इंच गहराई 1 फीट 6 इंच	
			कंकर मिट्टी	42 घनफुट लम्बाई 7 फीट चौड़ाई 6 फीट गहराई 1 फीट	42 x 5 = 210 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 10 फीट 6 इंच गहराई 1 फीट	
6.	अन्य कार्य	नींव, खाई पर नाला में 1.5 मी. गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना, तल को कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव के भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना	साधारण मिट्टी	50 घनफुट लम्बाई 10 फीट चौड़ाई 5 फीट गहराई 1 फीट	50 x 5 = 250 घनफुट लम्बाई 25 फीट चौड़ाई 10 फीट गहराई 1 फीट	1. 3 मीटर उठाव 50 मी. दूरी तक ले जाना – 6 फीट x 7 फीट 1 इंच x 1 फीट (43 घनफीट) 2. 1.5 मी. उठाव 100 मी. दूरी तक ले जाना – 5 फीट x 6 फीट 8 इंच x 1 फीट (33 घनफीट)

			सख्त, चिकनी व कंकर मिट्टी	40 घनफुट लम्बाई 8 फीट चौड़ाई 5 फीट गहराई 1 फीट	40 x 5 = 200 घनफुट लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 10 फीट गहराई 1 फीट	1. 3 मीटर उठाव 50 मी. दूरी तक ले जाना – 6 फीट x 6 फीट x 1 फीट (36 घनफीट) 2. 1.5 मी. उठाव 100 मी. दूरी तक ले जाना – 7 फीट x 4 फीट 2 इंच x 1 फीट (29 घनफीट)
			विघटित चट्टान	27 घनफुट लम्बाई 6 फीट चौड़ाई 4 फीट 6 इंच गहराई 1 फीट	27 x 5 = 135 घनफुट लम्बाई 15 फीट चौड़ाई 9 फीट गहराई 1 फीट	1. 3 मीटर उठाव 50 मी. दूरी तक ले जाना – 5 फीट x 5 फीट x 1 फीट (25 घनफीट) 2. 1.5 मी. उठाव 100 मी. दूरी तक ले जाना – 7 फीट x 3 फीट x 1 फीट (21 घनफीट)
			साधारण चट्टान	21 घनफुट लम्बाई 7 फीट चौड़ाई 3 फीट गहराई 1 फीट	21 x 5 = 105 घनफुट लम्बाई 15 फीट चौड़ाई 7 फीट गहराई 1 फीट	1. 3 मीटर उठाव 50 मी. दूरी तक ले जाना – 5 फीट x 3 फीट 10 इंच x 1 फीट (19 घनफीट) 2. 1.5 मी. उठाव 100 मी. दूरी तक ले जाना – 5 फीट x 3 फीट 5 इंच x 1 फीट (17 घनफीट)

श्रमिक टास्क का सचित्र विवरण

टास्क बोर्ड –1

प्रति मजदूर कार्य विवरण

1. तालाब खुदाई/गहराई का कार्य (तालाब/बन्ध/जोहड/नया खाला/नई नहर आदि वाटर रिटेनिंग संरचनाओं का निर्माण कार्य)

1.1– तालाब/बन्ध/जोहड/नया खाला/नई नहर आदि वाटर रिटेनिंग संरचनाओं के निर्माण कार्य के लिये–मिट्टी का कार्य (सूखी या गीली), 15 से.मी. परत में डालना, ढेलों को तोडना, घास–पात तथा कंकर बीनकर अलग करना तथा मिट्टी की दरेसी करना तथा दुरमुट से मिट्टी दबाना

1. 1.5 मीटर उठाव तथा 50 मी. दूर तक ले जाना (एक लीड एक लिफ्ट)

टास्क बोर्ड–2

3. सडक निर्माण कार्य (कटाई)

3.1–मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान व 50 मी. तक निष्पादन तथा डाग वेल लगाना, होदा में केम्बर, ग्रेड लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को सममतल तथ दरेसी करना

टास्क बोर्ड–3

3.2 सडक निर्माण कार्य (मिट्टी भराई)

3.1–मिट्टी का कार्य कटाई में, सड़क के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान व 50 मी. दूरी तक निष्पादन डले तोड़ना तथा 25 सेमी परतों में बिछाना तथा दुरमट से दबाना तथा सममतल करना व कैम्बर बनाना।

टास्क बोर्ड–4

2 खाला/नहर के पटडे की मिट्टी मरम्मत का कार्य (मिट्टी कटाई)

2.1–मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान व 50 मीटर तक निष्पादन तथा डाग वेल लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को सममतल तथा दरेसी करना।

टास्क बोर्ड–5

2.2 खाला/नहर के पटडे की मिटटी मरम्मत का कार्य (मिट्टी भराई)

2.2–मिट्टी का कार्य भराई में, खाला/नहर के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान व 50 मी. दूरी तक निष्पादन डले तोड़ना तथा 25 सेमी परतों में बिछाना तथा दुरमुट से दबाना तथा सममतल करना।

टास्क बोर्ड–6

4 अन्य कार्य

4.1 नींव, खाई पर नाला में 1.5 मीटर गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना, तल को कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव के भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना।

पखवाड़ा समाप्ति उपरान्त मस्टररोल भुगतान हेतु दायित्व एवं समय सीमा

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित अधिकतम दिनांक	उत्तरदायी कार्मिक
1.	मेट द्वारा ग्राम रोजगार सहायक/ कार्यकारी संस्था को मस्टररोल देने की दिनांक	पखवाड़ा समाप्ति के अगले दिन	सचिव/ग्राम रोजगार सहायक
2.	सचिव/रोजगार सहायक द्वारा क.तक. सहा./क.अभि. को देने की दिनांक	पखवाड़ा समाप्ति के दो दिन में	क.तक. सहा./ क.अभियन्ता
3.	क.तक.सहा./क.अभि. द्वारा माप पुस्तिका में इन्द्राज के पश्चात् प.स. को लौटाने की दिनांक	पखवाड़ा समाप्ति के 5 दिन में	लेखा सहायक पं. समिति
4.	पं. समिति से ग्राम पंचायत/ कार्यकारी संस्था को पासआर्डर लगाने के लिए देने की दिनांक	पखवाड़ा समाप्ति के 6 दिन में	सचिव/ग्राम रोजगार सहायक
5.	कार्यकारी संस्था/पंचायत द्वारा मस्टररोल पर पासआर्डर लगाकर मस्टररोल पं. समिति को प्रेषित करने की दिनांक	पखवाड़ा समाप्ति के 8 दिन में	लेखा सहायक, पं. समिति
6.	पं.समिति द्वारा कम्प्यूटर जनरेटेड वेज लिस्ट के साथ ए. सी. बिल/ राशि हस्तान्तरण चैक तैयार करने की दिनांक	पखवाड़ा समाप्ति के 10 दिन में	लेखा सहायक, पं. समिति
7.	भुगतान संस्था को पेयमेंट एडवाईज/चैक मय वेजलिस्ट प्रेषित करने की दिनांक	पखवाड़ा समाप्ति के 11 दिन में	लेखा सहायक, पं. समिति
8.	एम.आई.एस. में मस्टररोल फीडिंग की दिनांक	पखवाड़ा समाप्ति के 12 दिन में	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
9.	भुगतान संस्था द्वारा वेजलिस्ट अनुसार राशि हस्तान्तरण की दिनांक	पखवाड़ा समाप्ति के 13 दिन में	लेखा सहायक, पं. समिति
10.	मस्टररोल पुनः ग्राम पंचायत में जमा कराने की दिनांक	पखवाड़ा समाप्ति के अगले 15 दिन में	सचिव/ग्राम रोजगार सहायक

संदर्भ स्त्रोत (References)

1. चारागाह भूमि के विकास हेतु कार्यकारी निर्देश, वर्ष 2011 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सरल मेट मार्गदर्शिका महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, वर्ष 2011, राजस्थान ग्रामीण विकाास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. नपती की नई व्यवस्था एवं मेट की भूमिका (मार्गदर्शिका), आस्था संस्थान, 39 खारोल, उदयपुर राजस्थान।
4. महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट निर्देशिका, वर्ष 2014, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. मेट प्रशिक्षण मोड्यूल : मेट के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ, कलेक्टर, जिला जालौर, राजस्थान।
6. महात्मा गाँधी नरेगा पर दिशानिर्देश, वर्ष 2013 (चौथा संस्करण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका, वर्ष 2011 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान।
8. मेट निर्देशिका वर्ष 2010, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान।

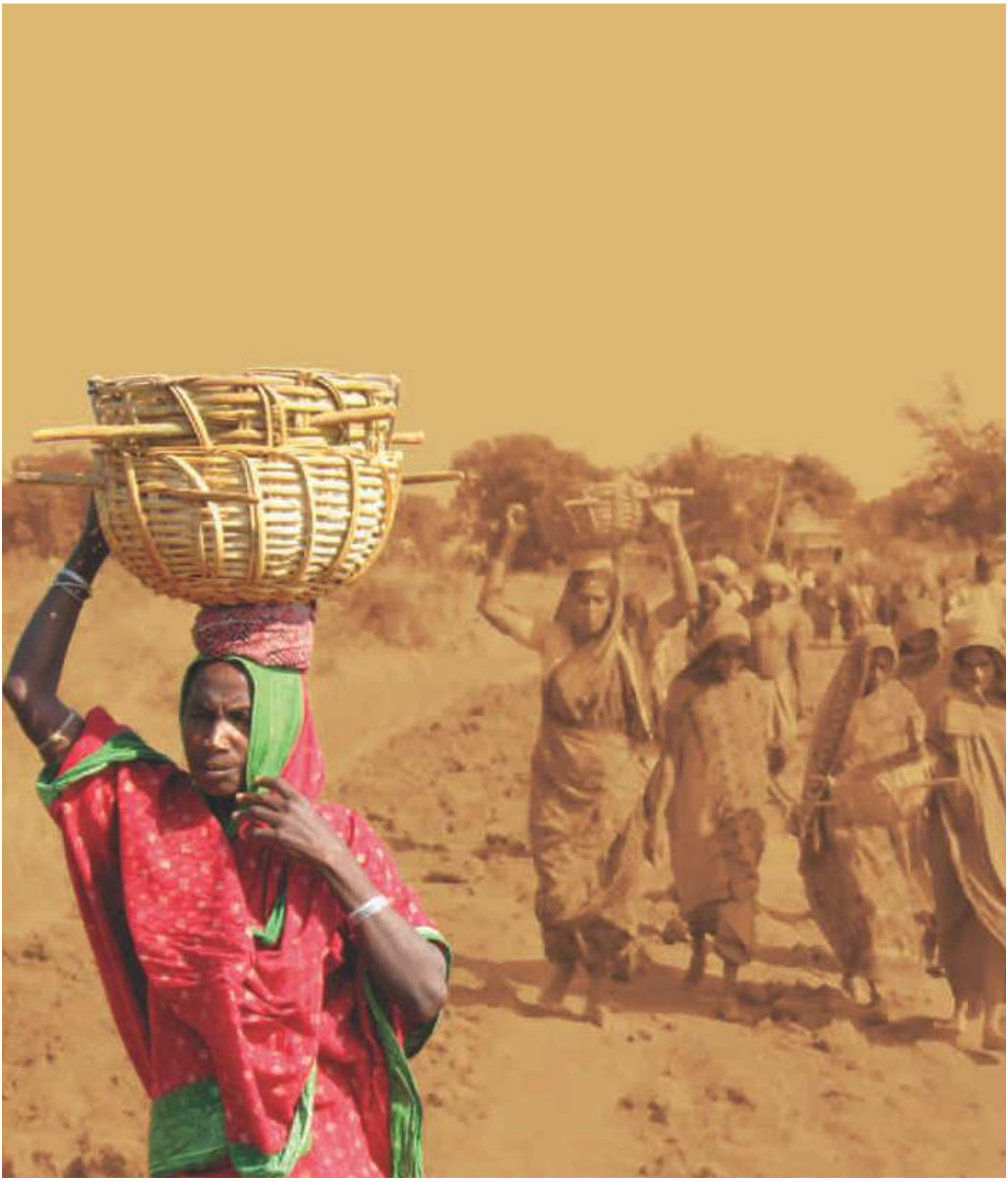

बायोफ्यूल प्राधिकरण

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

तृतीय तल, योजना भवन, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
फोन : 0141-2224755, 2220672 फैक्स : 0141-2224754
ई-मेल : biofuelraj@yahoo.co.in, वेबसाईट : www.biofuel.rajasthan.org.in